① NOC-Group Housing

कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांकःआर- 10/जे0डी0/जीबीएन-13(गा0बाद)/24 दिनांकः जनवरी 29 -2013
सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्याः 146, 199 ग्राम मोरटी जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 387/मी0 प्ला0/2012, दिनांकः 11-08-2012 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांकः 17-01-2013) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 17-01-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण उपनिदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांकः 21-01-2013 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचनाः-

1- कुल प्लाट एरिया-22,274.00 वर्ग मी0 है।

2- भूतल कवर्ड एरिया-4427.19 वर्ग मी0 है

क्रमांक	नाम ब्लाक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	तलो की संख्या	उपरी तलों का कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में	ऊँचाई मी0 में
1	ब्लॉक-ए0	2077.70	भूतल एव 15 तल	1 से 15 वे तल-2164.19 प्रत्येक	48.45
2	ब्लॉक-बी0	1377.78	भूतल एव 04 तल	1 से 04 वे तल-1306.35 प्रत्येक	15.45
3	ब्लॉक-सी0	स्टिल्ट-716.94	स्टिल्ट एव 07 तल	भूतल-577.54 प्रथम तल-569.54 द्वितीय तल-543.54 तृतीय से 7 वे तल-516.80	27.45
4	नर्सरी स्कूल	195.95	भूतल एवं प्रथम तल	195.95	6.75

2-लोवर एवं अपर बेसमेन्ट एरिया- 13,301.97 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरणः-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1- पहुच मार्ग- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

3–सैटबेक:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–
ए0–अग्रभाग–14.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–14.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–14.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–14.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्ग:– प्रस्तावित भवन के ब्लाक ए0, बी0 एवं सी0 मे क्रमश 09, 05, एवं 03 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 मी0 एन0बी0सी.0 के अनुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– प्रस्तगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉछनीय है।

1–भूमिगत:– प्रस्नगत भवन मे अग्निशमन 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

2–पम्पस:– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉछनीय है।

3–टेरिस टैंक: ब्लाक ए0 की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, एवं बी0सी0 की टेरिस पर 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

4–टेरिस पम्प: ब्लाक बी0 व सी0 की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

5–होजरील:– प्रस्तावित भवन प्रत्येक ब्लाक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉछनीय हैं।

6–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉछनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– ब्लाक ए के सम्पूर्ण तलो एवं शेष भवन के दोनो बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉछनीय है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

9–स्मोक एक्सट्रैक्शन:– प्रस्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

10–एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओ को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल अग्निशमन पद्धति

का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या 146, 199 ग्राम मोरटी जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 मे उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र बदद।

उपनिदेशक
(मुख्यालय)
फायर सर्विस मुख्यालय

संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ।

प्रतिलिपिः1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या 146, 199 ग्राम मोरटी जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।